न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी–

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
88 / प्रा.पत्र / 2016	15.06.2016	01.12.2021

श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
–प्रार्थी

–बनाम–

श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री महावीरप्रसाद जैन, मालिक एवं विक्रेता, मैसर्स महावीरप्रसाद अशोक कुमार, पुरानी धानमंडी, इंद्रा मार्केट, बून्दी। निवासी–म.नं. 19, जवाहर कॉलोनी, मीरागेट, बून्दी।
–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(v)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी की ओर से–श्री विनय कुमार सक्सेना एड0

–: निर्णय :–

श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये हैः–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षैत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.04.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.01.2016 को समय 12:15 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स महावीरप्रसाद अशोक कुमार, पुरानी धानमंडी, इंद्रा मार्केट, बून्दी स्थित दुकान पर पहुंचे। वहां पर श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री महावीरप्रसाद जैन, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 6/2

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान पर आम जनता को विक्रय हेतु एक प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 15–20 किलोग्राम धनिया पाउडर (खुला) उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच वास्ते उक्त खाद्य पदार्थ को एक स्टील के तस्ले में 2 किलोग्राम खरीदा गया। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 200/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाह को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षकर करने को कहा जिसे श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री महावीरप्रसाद जैन एवं गवाह ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री महावीरप्रसाद जैन को देकर रसीद प्राप्त की।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुले) को स्टील तस्ले में से हिलामिलाकर, एकरूप कर, चार कांच की साफ, सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर भरा एवं प्रत्येक कांच की शीशी के स्टोपर कार्क लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थो का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–889 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–889 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य जन विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान जन विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

7. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/163 दिनांक 16.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य जन विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एसएल. /189/एक्ट/2016/996 दिनांक 09.03.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A 6/3

नमूना जांच विक्रय किया गया धनिया पाउडर (खुला) को खुली स्थिति में बेचना निषेध एवं प्रतिबंधित घोषित किया गया है।

8. खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) को मैसर्स महावीरप्रसाद अशोक कुमार, पुरानी धानमंडी, बून्दी ने बिल संख्या 28573 दिनांक 03.12.2015 के द्वारा मैसर्स महेश कुमार ओमप्रकाश राजधानी मंडी प्रागंण, सीकर रोड, जयपुर से खरीदना बताया तथा खरीद बिल की प्रति प्रस्तुत की गई परन्तु मैसर्स महेश कुमार ओमप्रकाश राजधानी मंडी प्रागंण, सीकर रोड, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अनुसार उनकी फर्म से विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ साबूत धनिया था। इस विषय में उक्त फर्म का कहना है कि उनकी फर्म किसी भी प्रकार के खुले पिसे हुए मसाले का व्यापार नहीं करती है। इस प्रकरण में मैसर्स महेश कुमार ओमप्रकाश राजधानी मंडी प्रागंण, सीकर रोड, जयपुर को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं कर सकते। अतः इस प्रकरण में महावीरप्रसाद अशोक कुमार, पुरानी धानमंडी, इंद्रा मार्केट, बून्दी के मालिक श्री बाबूलाल पुत्र महावीरप्रसाद जैन को प्रथम एवं अंतिम पक्षकार बनाया गया है।

9. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/318 दिनांक 01.06.2016 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्डेड (Misbranded) खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन कर धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा तथा सहानुभूति का रूख अपनाते हुये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थी समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्डेड (Misbranded) खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन किया गया हैं, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित हैं। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने दोराने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना धनिया पाउडर (खुला) जन विश्लेषक, जयपुर की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्डेड (Misbranded) घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्डेड (Misbranded) खाद्य पदार्थ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पाउडर (खुला) का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज 01.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)